

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 276/2018-19 (पथ) ...880 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 14/08/2019

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- करकटडीह, थाना नं0- 732, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर (NH-133) कर्कडीह, डालावर, भंडारीडीह, अंजना मोड़ पथ एवं भंडारीडीह से बेलडीहा (MDR-206) लिंग पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है।

अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा- करकटडीह, थाना नं0- 732, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.230 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।


क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18	403	निजी	धानी I	0.004	0.001	तलाय मरंडी, पिता- स्व० दासु मरंडी	359	नाला	रास्ता	निज
2						0.0005	मोतीलाल मरंडी, पिता- स्व० शीरू मरंडी				
3						0.0005	रमेश मरंडी, पिता- स्व० शीरू मरंडी				
4						0.001	सोनालाल मरंडी, पिता- स्व० दासु मरंडी				
5						0.001	दिनेश मरंडी, पिता- स्व० ठाकुर मरंडी				
6	23	211	निजी	धानी I	0.054	0.009	सुकलाल हेम्रम, पिता- स्व० छोटे हेम्रम	217	नाला	पिड़	निज
7						0.009	तालामय मूर्मु, पिता- स्व० अर्जुन हेम्रम				
8						0.009	होपनमय सोरेन, पिता- स्व० भादो हेम्रम				
9						0.0047	सोनेला हेम्रम, पिता- स्व० शोकल हेम्रम				
10						0.0047	तलाबेटा हेम्रम, पिता- स्व० शोकल हेम्रम				
11						0.0046	शिवलाल हेम्रम, पिता- स्व० शोकल हेम्रम				

12					0.013	जीतलाल हेम्ब्रम, पिता- स्व0 भादो हेम्ब्रम				
13					0.011	होपनमय मुर्मू, पिता- स्व0 मंगल किस्कु				
14					0.006	तलामय सोरेन, पिता- स्व0 मास्टर किस्कु				
15					0.005	संझला किस्कु, पिता- स्व0 दुल्ला किस्कु				
16					0.021	संझली किस्कु, पिता- स्व0 मुंशी किस्कु				
17					0.011	तलामय सोरेन, पिता- स्व0 फेकन किस्कु				
18					0.011	मिरकु किस्कु, पिता- स्व0 बकु किस्कु				
19	26	210	निजी	पोखर	0.172	बाबुजी किस्कु, पिता- स्व0 बुदे किस्कु	पीड़ा	रास्ता	निज	पीड़ा
20					0.008	कलम किस्कु, पिता- स्व0 बड़का किस्कु				
21					0.007	बाबुजी किस्कु, पिता- स्व0 बड़का किस्कु				
22					0.008	बाबुराम किस्कु, पिता- स्व0 बड़का किस्कु				
23					0.007	रामलाल किस्कु, पिता- स्व0 बड़का किस्कु				
24					0.014	सुशील किस्कु, पिता- स्व0 चन्द्राय किस्कु				
25					0.014	गोविन्द किस्कु, पिता- स्व0 चन्द्राय किस्कु				
26					0.028	संखय किस्कु, पिता- स्व0 विराम किस्कु				
कुल :-					0.230	0.230	एकड़			

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


13/8/19
उपायुक्त,
गोड्डा।


ज्ञापांक 880/भू0अ0 दिनांक :- 14/08/2019।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- IT Manager, DPMU (Revenu), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।


13/8/19
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 880/भू0अ0 दिनांक :- 14/08/2019।


प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।



13/8/19
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 880 / भूअ0 दिनांक : 14/08/2019

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोड्डा।